यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 91/2008 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2008/00016

उनवान

1. श्री हीरालाल पिता भागचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
2. श्री अमरचन्द पिता भागचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
3. श्री गौतमलाल पिता भागचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर

—वादीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती धुली पुत्री वजेराम ढोली उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
2. श्री कालुलाल पिता घुलचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
3. श्री भंवरलाल पिता मियाचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
4. श्री गोटीलाल पिता मियाचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
5. श्री रमेशलाल पिता मियाचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
6. श्री मगनलाल पिता कपुरचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
7. श्री कालुलाल पिता कपुरचन्दजी जैन उम्म्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
8. श्री पारसमल पिता कपुरचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
9. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा कराने व इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. ले. एक्ट

::निर्णय::

दिनांकः 21/04/2026

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता—वादीगण
श्री सुरेश पुरी अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1
प्रतिवादी संख्या 2 से 8— अनुपस्थित।
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. ले. एक्ट का पेश किया। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह कथन किया गया कि वादीगण के पिता स्व. भागचन्द जैन ने दिनांक 07—02—1973 को मौजा गुडेल स्थित साबिक आराजी नम्बर 331 रकबा 4 बिस्वा तत्कालीन खातेदार मानसिंह वल्द पदमसिंह राठौड़ से क्रय की थी। उक्त भूमि पर वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा उनके निधन के पश्चात वादीगण के नाम दर्ज हो गई। वादियों का यह भी कथन है कि उक्त भूमि में वर्ष 1973 में वादीगण द्वारा लगभग 70 फीट गहरा कुआ खोदा गया, जिस पर वादीगण द्वारा सिंचाई की जाती रही तथा वर्तमान में भी वादीगण द्वारा उक्त कुए का उपयोग किया जा रहा है। वादियों का यह भी कहना है कि

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नः पैमाइश के दौरान अमीन द्वारा भूलवश उक्त कुए को आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.01 हेक्टेयर बनाकर प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि वास्तविकता में उक्त कुआ साबिक आराजी नम्बर 331 से बना हुआ है। अतः वादीगण ने न्यायालय से प्रार्थना की कि उक्त कुए को वादीगण के नाम घोषित कर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दुरस्ती की जावे तथा प्रतिवादी को हस्तक्षेप से रोका जावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 8 तक की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश सोनी ने वकातलनामा पेश किया। आदेशिका दिनांक 27–05–2025 प्रतिवादी संख्या 2 से 8 तक जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकिल श्री सुरेश पुरी ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब में वाद पत्र के कथनों का खण्डन करते हुए यह कहा गया कि वादग्रस्त कुआ पूर्व से ही प्रतिवादी के पिता लालुराम के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज था तथा वर्तमान में भी प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि उक्त कुआ पर प्रतिवादी का ही कब्जा है तथा वादीगण गलत तरीके से उक्त कुए को अपने नाम करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को निराधार बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में वाद निस्तारण हेतु निम्न तनकियात कायम की गई–

1. क्या वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 331 रकबा 4 बिस्वा से बने कुए को गलत पैमाइश के कारण आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.01 हेक्टेयर बनाकर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा वादीगण उक्त कुए के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं?

–बजिम्मे वादी

वाद की कार्यवाही के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में आदेश 23 यम 3 सीपीसी के अंतर्गत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा के अनुसार दोनों पकारों ने यह स्वीकार किया कि वादीगण के पिता स्व. भागचन्द जैन ने साबिक आराजी बर 331 रकबा 4 बिस्वा क्रय की थी। उक्त भूमि में वादीगण द्वारा कुआ खोदा गया था। : पैमाइश के दौरान अमीन द्वारा भूलवश उक्त कुए को आराजी नम्बर 1271 बनाकर तेवादी के नाम दर्ज कर दिया गया। वास्तव में उक्त कुआ साबिक आराजी नम्बर 331 से ा हुआ है तथा वादीगण ही उसके वास्तविक खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण का त कुए में कोई हक, हिस्सा या स्वामित्व नहीं है।

उक्त राजीनामा वादी संख्या 3 एवं वादी अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा एवं प्रतिवादी ख्या 1 धुली एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सुरेश पुरी ने उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष किया जिसमे वादी की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 8 तक मय अधिवक्ता अनुपस्थित । दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छा से किया गया प्रतीत होता है तथा लेख पर उपलब्ध है।

प्रस्तुत राजीनामे पर उभयपक्ष को सुना गया। दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि राजीनामा स्वेच्छा से किया गया है । अतः नामा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये– श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

वाद संख्या–91 / 2008

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान–श्री हिरालाल बनाम धुली

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि मौजा गुडेल, तहसील सलूम्बर स्थित आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.01 हेक्टेयर (कुआ) को वादीगण का घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादी का नाम हटाकर उक्त कुआ वादीगण के नाम खातेदारी काश्तकार के रूप में दर्ज किया जावे। संबंधित राजस्व अभिलेखों एवं नक्शा शीट में इन्द्राज दुरस्ती की जावे।

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण के उक्त कुए के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रत तहसीलदार सलुम्बर को भेजी जावे।

मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 21/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 91 / 2008 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2008 / 00016

उनवान

1. श्री हीरालाल पिता भागचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
2. श्री अमरचन्द पिता भागचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
3. श्री गौतमलाल पिता भागचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर

—वादीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती धुली पुत्री वजेराम ढोली उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
2. श्री कालुलाल पिता घुलचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
3. श्री भंवरलाल पिता मियाचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
4. श्री गोटीलाल पिता मियाचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
5. श्री रमेशलाल पिता मियाचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
6. श्री मगनलाल पिता कपुरचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
7. श्री कालुलाल पिता कपुरचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
8. श्री पारसमल पिता कपुरचन्दजी जैन उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर
9. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा कराने व इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. ले. एक्ट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 भू.रा.अ. के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गोपाल चौबिसा एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पुरी की उपस्थिति में इस वाद में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर दिनांक 21/04/26 को पारित निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा मौजा गुडेल, तहसील सलूम्बर स्थित आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.01 हेक्टेयर (कुआ) को वादीगण का घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादी का नाम हटाकर उक्त कुआ वादीगण के नाम खातेदारी काश्तकार के रूप में दर्ज किया जावे। संबंधित राजस्व अभिलेखों एवं नक्शा शीट में इन्द्राज दुरस्ती की जावे।

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण के उक्त कुए के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 21/04/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर